भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1961

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राज्यों में स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास

†1961. श्री बैजयंत पांडा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

सात राज्यों बिहार, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर विशेष ध्यान के साथ असम, मणिपुर और मेघालय सहित उत्तर पूर्व के तीन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2021 -22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान संचयी रूप से 17000 भवन रहित उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तर के एबी- एचडब्ल्यूसी के निर्माण में हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

प्रधानमंत्री - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के साथ केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वित्त वर्ष 2021-22 में जन स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था ताकि भविष्य में किसी भी महामारी और प्रकोप का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और अनुक्रिया की जा सके। इस योजना के सीएसएस घटकों के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में भवन रहित उप-स्वास्थ्य केंद्र - आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में 7808 भवन रहित उप-स्वास्थ्य केंद्र - एएएम के निर्माण के लिए असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों को 4088.21 करोड़ रुपये की राशि का प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया है। इसका विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है और वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट के भाग के रूप में घोषित किया है, जो मुख्य रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की कमियों को पूरा करने के लिए हैं। एफसी-XV स्वास्थ्य अनुदान के तहत, स्थानीय संदर्भ के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचसी-एएएम सहित भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के लिए भवनों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में 9403 भवन रहित उप-स्वास्थ्य केंद्र-एएएम के निर्माण के लिए असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को 3800.76 करोड़ रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। विवरण अनुलग्नक-2 में दिया गया है।

दिनांक 02 अगस्त 2024 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1961 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-1

क्र. सं.	राज्य का नाम	पीएम-एबीएचआईएम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भवन रहित एसएचसी-एएएम के निर्माण को अनुमोदन	
		इकाई	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
1	असम	768	399.59
2	बिहार	2546	1413.04
3	झारखंड	893	495.61
4	मणिपुर	64	35.52
5	मेघालय	151	83.80
6	ओडिशा	604	278.14
7	राजस्थान	1112	455.65
8	उत्तर प्रदेश	1670	926.86
कुल		**7808**	**4088.21**

दिनांक 02 अगस्त 2024 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1961 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-2

क्र.सं.	राज्य का नाम	पन्द्रहवें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य अनुदान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भवन रहित एसएचसी-एएएम के निर्माण को मंजूरी	
		इकाई	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
1	असम	104	54.11
2	बिहार	335	184.25
3	झारखंड	809	447.10
4	मणिपुर	30	19.62
5	मेघालय	20	11.02
6	ओडिशा	808	426.22
7	पंजाब	666	223.30
8	राजस्थान	1212	601.22
9	उत्तर प्रदेश	4660	1539.38
10	पश्चिम बंगाल	759	294.54
कुल		**9403**	**3800.76**